राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
श्यामलाहिल्स, भोपाल – 462002
ठेकेदारों के लिए नियम/शर्ते

संस्थान मे पंजीकृत/ **Empanelled** ठेकेदारों से संबंधित जानकारी एवं शर्ते

१. कार्य को निश्चित अवधि में पूर्ण करना आवश्यक।

२. कार्य के पूर्ण होने गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ही भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी।

३. कार्य की गुणवत्ता निर्धारितम **SOR** एवं निर्देशित गुणवत्ता के अनुसार ही मान्य होगी।

४. निर्माण में उपयोगी सामग्री की पूर्ण गुणवत्ता जाँच उसके उपयोग में लाने से पूर्व, संबंधित अधिकारी से निश्चित करनी होगी।

५. किसी भी प्रकार की टूट-फूट एवं पुनः निर्माण के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नही हो सकेगा।

६. संस्थान की सामग्री/प्रॉपर्टी को यदि कोई नुकसान पहुँचता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी। एवं इस संबंध में भरपाई संबंधित भुगतान से काटी जा सकती है।

७. संस्थान के द्वारा पानी, स्थान, बिजली के उपलब्धता करना बाध्यकारी नही होगा। केदार के आवेदन पर संस्था द्वारा निर्धारित दरों पर स्थान, बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध कराया जा सकता है।

८. कार्य के दौरान किसी भी घटना जैसे चोरी, लेबर के साथ हादसा, सामान की टूट-फूट इत्यादि के लिए संस्थान जिम्मेदार नही होगा।

९. ठेकेदार के द्वारा लगाये गये कर्मी, लेबर पूर्णरुप से ठेकेदार द्वारा निर्धारित शर्तो पर रहेंगे। संस्थान स्तर पर कोई भी विवाद मान्य नही होगा।

१०. ठेकेदार द्वारा संस्थान में बाल श्रमिक **(Child Labor)** काम पर नही लगाये जा सकेंगे।

११. संस्थान के नियमानुसार **Income Tax (TDS)** काटकर ही भुगतान हो सकेगा।

१२. यदि कोई ठेकेदार कार्य को समय सीमा मे पूर्ण नही कर पा रहा है तो उस कार्य को संस्थान किसी अन्य ठेकेदार या स्वयं के स्तर पर पूर्ण करने का अधिकार रखता है तथा इस हेतु की गई कार्यवाही का भी अधिकार रखता है।

१३. अधूरे कार्यो का आंशिक भुगतान नही किया जायेगा।

१४. उपरोक्त नियमों में बदलाव या फेरबदल करने का अधिकार संस्थान द्वारा सुरक्षित है।

१५. ठेकेदारों के लिए को निविदा सूचना, उपरोक्त नियम शर्ते एवं अन्य जानकारियां संस्थान की वेवसाइट **Web Site www.nitttrbpl.ac.in** पर एवं/या मेन्टेनेन्स विभाग के सूचना पटल पर ही प्रदर्शित की जावेंगी तथा व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध नही करायी जायेंगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक